



विकसित भारत 2047

के लिए बढ़ते कदम

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत

श्रम विभाग

की उपलब्धियां

तेज, भरोसेमंद और सुलभ सेवाएं

जो हर वर्ग के लिए है विश्वास से परिपूर्ण

37 ऑनलाइन सेवाओं का निवेश मित्र से सफल इंटीग्रेशन

**कारखानों के नए पंजीयन की वैधता
(पूर्व में 01 वर्ष) को बढ़ाकर :**

- सामान्य श्रेणी के कारखानों के लिए अधिकतम **10 वर्ष**
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए अधिकतम **5 वर्ष**
- अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए अधिकतम **3 वर्ष**

**कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण
आवेदन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए
अपलोड होने वाले अभिलेखों की संख्या 19 से
घटाकर :**

- सामान्य श्रेणी के कारखानों के लिए **8**
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए **11**
- अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए **12**

कारखानों में महिला संबंधी श्रम सुधार

17 खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं के नियोजन को कतिपय शर्तों के अधीन छूट

महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में कार्य करने की कतिपय शर्तों के अधीन छूट

20 से कम श्रमिक होने पर दुकानों एवं व्यावसायिक स्थापना एक्ट के तहत पंजीकरण में छूट



Scan to know about
the Invest UP Website

Website : <https://niveshmitra.up.nic.in/>
www.invest.up.gov.in | info@investup.org.in

+91-522 6923000



Scan to know about the
Nivesh Mitra Portal